न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30 / 2016(2016 / 00877)

1. गजराज सिंह पुत्र श्री करणीदान।
2. मगनकंवर पुत्री श्री करणीदान।

   जाति चारण निवासी मेहरूखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
2. महावीर पुत्र मोहन जाति दरोगा।
3. रघुवीर पुत्र मोहन जाति दरोगा।
4. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी दशरथ जाति दरोगा।
5. जगदीश पुत्र गुलाब जाति दरोगा।
6. गोपालसिंह पुत्र माधवसिंह जाति चारण।
7. जयदेवसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति चारण।
8. श्रीमति कान्ता देवी पत्नी सत्यनारायण जाति साधू।
9. सन्तोष पुत्री मोहनदास जाति साधू
10. सीता पुत्री मोहनदास जाति साधू
11. गीता पुत्री मोहनदास जाति साधू
12. श्रीमति जैती पत्नी जयकिशन जाति गूर्जर
13. गोपी पुत्री जयकिशन जाति गूर्जर।
14. जीता पुत्र नन्दा जाति गुर्जर।

    समस्त निवासीगण मेहरूखुर्द तहसील सावर जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:— श्री सिद्धार्थ सिंह—वकील प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार सावर—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक—26.7.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है वादग्रस्त आराजी गांव मेहरूखुर्द तहसील सावर जिला अजमेर स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार है तथा काबिज काश्त है आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है

खसरा नंबर	रकबा	किस्म
300	0.63	चाही 1

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

301	0.42	चाही 2 जाव 2
302	0.03	चाही 3
304	0.02	चाही
305	0.01	गै.मु.चाह
306	0.06	बारानी 3
307	0.31	चाही 2
309	0.03	चाही 2
310	0.16	चाही 2
365	0.39	चाही 1
369	0.04	गै.मु.चाह
372	0.42	चाही 1
373	0.02	गै.मु.चाह
385	0.89	चाही 1
427	0.01	गै.मु.चाह
428	0.15	बारानी 2
429	0.02	गै.मु.चाह
430	0.98	चाही 1
433	0.51	चाही 1
434	0.40	चाही 1

उक्त वादग्रस्त आराजीयात का साबिक नक्शा संवत् 2027 भूमि के रकबा अनुसार एवं मौका अनुसार सही बना हुआ है जिस पर वर्तमान में मौके पर नक्शा व रकबा अनुसार वादीगण काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी का नया नक्शा संवत् 2039 से 2040 यानि सन् 1983–1984 का नक्शा मौके अनुसार नही बनाया बल्कि गलत बनाया है जिसे साबिक नक्शा संवत् 2027 के अनुसार सही किया जाना आवश्यक है यानि वर्तमान नक्शा संवत् 2039–2040 को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है वादग्रस्त आराजीयात का सीमा ज्ञान करवाया जाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाया जाना आवश्यक है जिससे पडोस के खातेदारों के साथ कोई सीमा बावत् विवाद उत्पन्न नही हो वादग्रस्त आराजी का नक्शा वादीगण की अनुपस्थिति में सन् 1984 में मौका अनुसार एवं साबिक नक्शा अनुसार नहीं होकर गलत बनाया गया है आराजीयात का साबिक नक्शा संवत् 2027 का सही है तथा आराजीयात के मौके अनुसार है अतः आराजीयात का सीमा ज्ञान साबिक नक्शा संवत् 2027 के अनुसार किया जाना आवश्यक है प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से तथा लैण्डलोर्ड होने से व रेकार्ड का प्रभारी अधिकारी होने से तथा आराजीयात का सीमा ज्ञान करवाये जाने का प्रभारी अधिकारी होने से उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा रहा है वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण सर्वप्रथम तब उत्पन्न हुआ जब आराजी का नया नक्शा साबिक नक्शा अनुसार तथा मौके अनुसार नहीं बनाया गया उसके बाद वादीगण को जानकारी होने तथा रेकार्ड प्राप्त करने पर उत्पन्न हुआ तथा अब निरन्तर उत्पन्न हो रहा है उक्त वाद ग्रस्त आराजीयात का नक्शा साबिक नक्शा संवत् 2027 के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 के बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। जवाब सरकार उनके पत्र कमांक भू.अ/2022/4694 दिनांक 30.6.2022 से प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया जवाब सरकार निम्नानुसार है:-

ग्राम मेहरूखुर्द के आराजी खसरा नंबर 301 के मौके पर पहुचे तो मौके पुराने खसरा नंबर 53 व पुराना नक्शा संवत् 2027 व वर्तमान नक्शा से मिलान किया गया तो पाया कि मौके पर पुराना नक्शा अनुसार काबिज है वर्तमान नक्शे में खसरा नंबर 301 का उतरी मेड पूर्व दिशा में खसरा नंबर 448 गै.मु.रास्ता में 10 मीटर चौडाई की ओर एंव दक्षिण दिशा में 22 मीटर त्रिभूज आकार मे आकृति बनती है जो नजरी नक्शे अनुसार है पूराना नक्शा एव मौके अनुसार आराजी खसरा नंबर 301 को खसरा नंबर 448 की ओर 10 मीटर चौडाई एंव 22 मीटर लम्बाई की ओर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। प्रार्थी के दस्तावेज मौका पर्चा, भु.अ.नि. पिपलाज द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा में अंकित नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सावर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मेहरूखुर्द की आराजी खसरा नंबर 301 की तरमीम पुराने नक्शे अनुसार मौके पर खसरा नंबर 448 गै.मु.रास्ता में 10 मीटर चौडाई की ओर एवं दक्षिण दिशा में 22 मीटर त्रिभूज आकार में प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती लाल स्याही से अंकन अनुसार दुरस्त किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी, केकड़ी।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर